भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2531

उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना

†2531. श्री अरूण भारती:

श्री नवसकनी के.:

श्री सी.एन.अन्नादुरई:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में तमिलनाडु सहित इस योजना से लाभान्वित होने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) जनवरी 2020 में अब तक इस योजना के अंतर्गत आबंटित, स्वीकृत और वित्तरित निधि का बिहार सहित वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन में किसी समस्या की पहचान की है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या सरकार ने बिहार सहित देश भर में इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की प्रभावी निगरानी, पारदर्शिता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार की छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने, पात्रता मानदंडों को संशोधित करने या कमजोर वर्गों के और अधिक मेधावी छात्रों की सहायता करने के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार द्वारा बिहार में पात्र छात्रों के बीच एनएमएमएसएस के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार बिहार में छात्रवृत्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत बिहार के लिए आबंटन बढ़ाने पर विचार कर ही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) क्या बिहार में एनएमएमएसएस के वितरण से वंचित छात्रों के बीच शिक्षा तक पहुंच में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के स्नातक छात्रों के लिए केंद्रीय मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, ताकि कक्षा आठ में उन्हें अध्ययन क्षेत्र में ही छूट मिले और उन्हें कक्षा बारह से उच्च स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतु मान्यता प्राप्त हो सके। कक्षा नौ के मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष प्रति छात्र 12000/- रुपये की दर से एक लाख अद्यतन अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है और कक्षा Xवीं, XIवीं और XIIवीं में उनकी पढ़ाई जारी रखने/नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय संस्थानों के स्कूलों में पढ़ाई की सुविधा मिलती है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को मेधावी छात्रों के चयन हेतु एक निश्चित कोटा दिया जाता है। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मानदंडों के अनुसार छात्रों की विभिन्न श्रेणियों को आरक्षण प्रदान करती है; क्योंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास आरक्षण के अपने मानदंड हैं। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का चयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। छात्रों के आवेदन ऑनलाइन मोड में प्राप्त करने हेतु इस योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर अपलोड किया गया है। छात्रवृत्तियाँ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से छात्रों के खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा वितरित की जाती हैं।

(ख): पिछले तीन वर्षों 2021-22 से 2023-24 के दौरान तमिलनाडु सहित देश भर में इस योजना से 7,16,407 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

(ग): इस योजना के अंतर्गत जनवरी 2020 से आवंटित, स्वीकृत और वितरित निधि का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है और बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

(घ): छात्रवृत्ति जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और त्वरित बनाने के लिए, एनएमएमएसएस को वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर पूरी तरह से जोड़ा गया है ताकि दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ छात्रवृत्ति प्रदान की जा सके। आधार पेमेंट ब्रिज (एपीबी) गेटवे का उपयोग डीबीटी मोड में एनएसपी के माध्यम से छात्रवृत्ति के वितरण हेतु किया जाता है। यह एक अनूठी भुगतान प्रणाली है, जो लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुव्यवस्थित करने के लिए आधार संख्या को केंद्रीय कुंजी के रूप में उपयोग करती है। एपीबी प्रणाली के लाभों में विलंब को खत्म करने और लाभ को सरल, समयबद्ध तरीके से एवं सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित करना शामिल है। एनएमएमएसएस के तहत छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए देशभर के सभी पात्र उम्मीदवारों को एनएसपी पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा। लेकिन एनएसपी और संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के लगातार संशोधनों के कारण तकनीकी खामियां अभी भी

व्याप्त हैं और इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन छात्र स्वयं को इस प्रणाली के अनुकूल नहीं बना पा रहे हैं। जमीनी स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी एक और बड़ा मुद्दा है।

(ड.) शिक्षा मंत्रालय निरंतर एनएसपी टीम और डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडलीय सचिवालय के साथ जुड़ा रहता है, जो एनएसपी पर शुरू हुई छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की सीधे निगरानी कर रहा है। मंत्रालय नियमित रूप से एनएमएमएस योजना के लिए एनएसपी पर आवेदकों के पंजीकरण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सत्यापन के तरीकों पर राज्य/जिला और संस्थान नोडल अधिकारियों के साथ आभासी/वास्तविक उन्मुखीकरण सत्र आयोजित कर रहा है। छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और नोडल अधिकारियों की शिकायतों को दर्ज करने और उनके समाधान के लिए मंत्रालय एक हेल्पलाइन नंबर 011-23383363 भी संचालित कर रहा है। छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए एनएसपी पर शिकायत निवारण तंत्र भी उपलब्ध है, जिसे सीपीजीआरएएम के साथ एकीकृत किया गया है।

(च): व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने वर्ष 2017-18 में छात्रवृत्ति की राशि 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये प्रति वर्ष करने के बाद वर्ष 2020-21 तक इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने को अनुमोदित कर दिया है।

(छ): शिक्षा मंत्रालय पात्र छात्रों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्यशालाएँ और आभासी उन्मुखकरण सत्र आयोजित करता है। पीआईबी वार्तालाप मंच अतिरिक्त योजना की विशेषताओं और एनएसजी प्रचालनों के बारे में प्रचार-प्रसार के लिए और सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाता है।

(ज): योजना के तहत आवंटन में परिवर्तन पर राज्य संघ राज्य क्षेत्र के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही विचार किया जाता है। बिहार के लिए छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की संख्या बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(झ) आर्थिक विकास संस्थान द्वारा, वर्ष 2020 में किए गए तृतीय पक्ष के मूल्यांकन के आधार पर, यह देखा गया कि समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के मेधावी छात्रों द्वारा इस योजना को बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ठीक से स्वीकार किया गया है। यह छात्रवृत्ति पात्र छात्रों को बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मेधावी बच्चे न केवल अपनी शैक्षणिक यात्रा के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक चरणों के दौरान लाभान्वित होते हैं, बल्कि अपने माता-पिता पर बोझ बने बिना शैक्षणिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने हेतु प्रेरित और उत्साहित भी महसूस करते हैं।

*****

अनुलग्नक-I

"राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अरुण भारती, श्री नवसकनी के., श्री सी एन अन्नादुरई द्वारा पूछे गए दिनांक 17.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत निधि आवंटन और वर्ष-वार छात्रवृत्तियों की संख्या और स्वीकृत निधि दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (रु. करोड़ में) संशोधित अनुमान	छात्रवृत्ति पर स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	छात्रवृत्तियों की संख्या (नवीनतम +नवीनीकरण)
1	2020-21	350.00	319.09	267503
2	2021-22	284.20	248.15	206794
3	2022-23	307.45	299.91	259524
4	2023-24	358.00	300.10	250089

नोट: इस योजना के अंतर्गत निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित नहीं की जाती बल्कि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित कर दी जाती है।

*****

अनुलग्नक-II

"राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अरुण भारती, श्री नवसकनी के., श्री सी एन अन्नादुरई द्वारा पूछे गए दिनांक 17.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या और निधियों के दर्शाने वाला राज्यवार और वर्ष-वार विवरण।

क्र.सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		छात्रवृत्तियों की संख्या (नवीन+नवीनीकरण)	राशि (लाख रुपए में)	छात्रवृत्तियों की संख्या (नवीन+नवीनीकरण)	राशि (लाख रुपए में)	छात्रवृत्तियों की संख्या (नवीन+नवीनीकरण)	राशि (लाख रुपए में)	छात्रवृत्तियों की संख्या (नवीन+नवीनीकरण)	राशि (लाख रुपए में)
1	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	129	15.48	129	15.48	141	16.92	143	17.16
2	आंध्र प्रदेश	9063	1087.56	7451	894.12	7366	883.92	9900	1188.00
3	तेलंगाना	5112	613.44	4315	517.80	4373	524.76	3672	440.64
4	अरुणाचल प्रदेश	117	14.04	112	13.44	303	27.96	144	17.28
5	असम	2291	273.48	2403	288.36	3813	457.56	4931	591.72
6	बिहार	**15670**	**1862.76**	**10029**	**1203.48**	**14140**	**1676.70**	**12749**	**1529.88**
7	चंडीगढ़	322	38.64	173	20.76	204	24.48	234	28.08
8	छत्तीसगढ	919	110.28	1434	172.08	25070	2029.74	3190	382.80
9	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	67	8.04	78	9.36	144	14.04	107	12.84
10	दिल्ली	8102	972.24	2368	284.16	2367	284.04	2718	326.16
11	गोवा	90	10.80	77	9.24	79	9.48	178	21.36
12	गुजरात	15899	1907.88	13027	1563.24	13536	1624.26	14307	1716.84
13	हरियाणा	10540	1264.80	6806	816.72	7200	864.00	7256	870.72
14	हिमाचल प्रदेश	3356	402.72	2973	356.76	3068	368.16	3003	360.36
15	जम्मू एवं कश्मीर	3135	376.20	2462	295.44	2794	335.28	2221	266.52
16	झारखंड	1339	160.68	1588	190.56	2166	259.92	2466	295.92
17	कर्नाटक	13298	1595.76	12242	1469.04	13075	1569.00	14183	1701.96
18	केरल	13031	1563.72	12810	1537.20	13321	1598.52	13574	1628.88
19	लद्दाख	#	#	#	#	#	#	112	13.44
20	लक्षद्वीप	-	*	-	*	-	*	8	0.96
21	मध्य प्रदेश	14511	1595.71	15521	1862.52	17459	1981.98	16585	1990.20

22	महाराष्ट्र	59152	7090.20	36424	4370.88	37730	4527.60	37953	4554.36
23	मणिपुर	130	15.60	105	12.60	154	18.48	291	34.92
24	मेघालय	304	36.48	85	10.20	122	14.64	155	18.60
25	मिजोरम	277	33.24	219	26.28	728	59.64	291	34.92
26	नगालैंड	659	79.08	-	*	-	*	65	7.80
27	ओडिशा	13978	1677.36	8713	1045.56	9354	1122.48	10267	1232.04
28	पुदुचेरी	398	47.76	370	44.40	375	45.00	381	45.72
29	पंजाब	5010	596.70	4556	546.72	5124	614.88	5729	687.48
30	राजस्थान	11198	1329.72	9964	1195.68	16035	1924.20	14407	1728.84
31	सिक्किम	98	11.76	92	11.04	137	16.44	157	18.84
32	तमिलनाडु	**26932**	**3231.84**	**22215**	**2665.80**	**22801**	**2736.12**	**23183**	**2781.96**
33	त्रिपुरा	464	55.62	458	54.96	729	87.48	962	115.44
34	उत्तर प्रदेश	5141	616.86	5772	692.64	9837	1180.44	16528	1983.36
35	उत्तराखंड	3637	436.44	1386	166.32	1730	207.60	2123	254.76
36	पश्चिम बंगाल	23134	2776.08	20437	2452.44	24049	2885.88	25916	3109.92
कुल		**267503**	**31908.97**	**206794**	**24815.28**	**259524**	**29991.60**	**250089**	**30010.68**

* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

लद्दाख को जम्मू और कश्मीर राज्य में शामिल किया गया।

*****